न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 434/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– उगमसिह पुत्र पीरदानसिह 2– मूलसिह पुत्र भूरसिह 3– खींवसिह पुत्र कानसिह 4– देवीसिह पुत्र खेतसिह जातियान राजपूत 5– हडमानराम पुत्र पेमाराम जाति सुथार निवासीगण ग्राम देवातु, तहसील बालेसर जिला जोधपुर		1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बालेसर जिला जोधपुर 2– भू अभिलेख निरीक्षक लोडता अचलावता तहसील बालेसर 3– हल्का पटवारी पटवार मण्डल देवातू तहसील बालेसर जिला जोधपुर 4– सरपंच ग्राम पंचायत देवातू पंचायत समिति सेखाला तहसील बालेसर जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–6–2018 जो प्रकरण संख्या ...../2018 राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018 केम्प कोर्ट गोपालसर मे उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टरं बालेसर द्वारा पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री नाहर सिह सोलंकी अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 1 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 8–7–2022

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार बालेसर की ओर से राज्य सरकार द्वारा चलाये गये रास्ते संबंधी समस्याओ का निराकरण अभियान 2016 के दौरान रास्तो के संबंध मे प्राप्त प्रस्ताव अपनी अभिशंषा के साथ अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर के समक्ष प्रेषित किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एव पदेन सहायक कलेक्टर बालेसर (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) ने तहसीलदार बालेसर द्वारा ग्राम देवातु एवं लक्ष्मणनगर के खसरा नंबरान 914, 916, 917, 918, 932, 935, 878/2, 877/3, 877/5, 877/4, 874, 873, 872, 861, 862, 609, 920, 925, 927, 907 मे चल रहे कदीमी रास्तो जिनका उपयोग/उपभोग आम जन द्वारा किया जा रहा है, परंतु उनका राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज नही है, ऐसे रास्तो का राजस्व अभिलेख मे अंकन किये जाने के प्रस्ताव को अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29–6–2018 के द्वारा स्वीकार करते हुए प्रस्तावित भूमि का पृथक से खसरा नंबर कायम कर किस्म गै.मु.रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित किये गये । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29–6–2018 से व्यथित होकर अपीलांट ने वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

वकील अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना सुनवाई किये तथा मौके की जांच

अति० सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर

करवाये बिना ही, एक ही दिन मे मनमर्जी से रास्ते संबंधी आदेश पारित कर दिये जबकि प्रस्तावित रास्ते के संबंध मे खातेदारो की सहमति ली जाना आवश्यक था तथा प्रस्ताव पर ग्रामवारियो के फर्जी हस्ताक्षर एवं अंगूठे निशान लगाकर प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत पारित किया हुआ होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलाधीन आदेश जिसका कोई औचित्य नही है जिसके द्वारा खातेदारो के खातेदारी की भूमि के बीच मे सें रास्ता बंताते हुए खेतो को दो भागो मे विभाजित कर दिया । वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना खातेदारो की सहमति के अपीलाधीन आदेश बमुकाम केम्प देवातु मे पढकर सुनाया गया तथा कोई आपत्ति नही की गई जबकि उस दिन केम्प तो ग्राम पंचायत केम्प कोर्ट गोपालसर मे सम्पन्न हुआ जबकि अपीलांट के खातेदारी की भूमि पटवार मण्डल देवातु मे स्थित है । वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि खातेदारान की भूमि मे से कोई पुश्तैनी रास्ता नही था और न ही कोई रास्ता आगे जाता है अथार्त रास्ता नही होते हुए भी बिना किसी आधार के रास्ते का आदेश पारित कर दिया इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

अतं मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29–6–2018 को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रस्तावित रास्ते की भूमि के संबंध मे विधिवत जांच करवाकर, प्रभावित खातेदारों को नोटिस जारी कर उन्हे सुनकर उनकी उपस्थिति में मौका निरीक्षण कर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत आदेश पारित करने हेतु रिमाण्ड करने का निवेदन

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा रास्तो की समस्याओं के समाधान हेतु चलाये गये अभियान के तहत ऐसे कदीमी रास्ते जो मौके पर चालू है जिनका उपयोग एवं उपभोग ग्रामवासी लंबे समय से करते आ रहे है परंतु राजस्व रेकर्ड मे उनका रास्ते के रूप मे इन्द्राज नही किया हुआ है, ऐसे रास्तो को चिन्हित कर विधिवत प्रस्ताव मय राजस्व रेकर्ड के तहसीलदार की अभिशंषा के साथ अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर जो रास्तो के संबंध मे अपीलाधीन आदेश पारित किया है, उसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय का अवलोकन एवं अध्ययन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध रास्तो के संबंध मे प्राप्त प्रस्ताव एवं उस पर की गई कार्यवाही आदि का अध्ययन किया ।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार बालेसर द्वारा ग्राम देवातु एवं

लक्ष्मणनगर मे चल रहे कदीमी/बारहमासी रास्ते जो मौके पर चालू है परंतु उनका राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज नही है, ऐसे रास्तो का राजस्व अभिलेख मे अंकन किये जाने के प्रस्ताव प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29–6–2018 के द्वारा प्रस्तावित भूमि का पृथक से खसरा नंबर कायम कर किस्म गै.मु.रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित किये गये है । उक्त प्रकरण मे रास्ता संबंधी आदेश व्यापक जनहित व सुखाचार की भावना को मध्यनजर रखते हुए पारित किया जाना प्रतीत होता है ।

ऐसे मे अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील आंशिक स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 29–6–2018 के क्रम मे प्रकरण रिमाण्ड कर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि अपीलांटगण एवं अन्य हितबद्ध खातेदारान को नोटिस जारी कर उनकी उपस्थिति मे मौका निरीक्षण कर प्रकरण का पुनः विधिवत निस्तारण करें । मौके पर यदि रास्ता चालू है तो उसे बंद नही किया जावें । उक्त निर्देशो के साथ वर्तमान अपील का निस्तारण किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 8–7–2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर